रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-268009
CG-DL-E-27112025-268009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 776] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947
No. 776] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 862(अ).—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 834(ई), दिनांक 11 नवम्बर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पढ़ा जाएगा, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाता है:—

(i) नियम 93 में, उप-नियम (1)(B) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(i) एक रियर-व्यू मिरर, या इनडायरेक्ट विज़न के लिए युक्ति, या गार्ड रेल या डायरेक्शन इंडिकेटर या रब-रेल (रबर बीडिंग) जिसकी बॉडी के हर तरफ या साइड फुट स्टेप पर अधिकतम मोटाई 20 मिलीमीटर हो, या ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन प्रणाली, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रणाली, आदि जैसी उन्नत चालक सहायता प्रणाली के लिए प्रयुक्त होने वाले सेंसर और उनके केसिंग को मोटर यान की कुल चौड़ाई को मापने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा और यदि संबंधित मानकों में निर्दिष्ट किया गया है तो उपरोक्त युक्ति विहित आयाम के भीतर होंगी।"

(ii) उक्त नियमों में, नियम 96 में, उप-नियम (11) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(12) नए मॉडलों की दशा में, 1 जनवरी, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2027 को विनिर्मित एम2, एम3, एन2 और एन3 प्रवर्ग के यान, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्सथानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते, आईएस: 11852:2019 के अनुसार वाहन स्थिरता फ़ंक्शन और समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-162 के अनुरूप उन्नत इमरजेंसी ब्रेकिंग प्रणाली से युक्त होंगे।"।

[फा. सं. RT-11036/106/2024-MVL]

महमूद अहमद, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st November, 2025

G.S.R. 862(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number G.S.R 834 (E), dated the 11th November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub- section (i), shall be read with following amendments, namely:-

2. In the said notification, following shall be substituted:-

(i) in rule 93, in sub-rule (1)(B), for item (i), following item (i) shall be substituted, namely: -

"A rear-view mirror, or devices for indirect vision, or guard rail or a direction indicator or rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20 millimeter on each side of the body or side foot step, or sensors along with their casing used for advanced driver assistance systems such as Blind Spot Information System, moving Off Information system, etc., shall not be taken into consideration in measuring the overall width of a motor vehicle and the above devices shall be within the prescribed dimension if so specified in the respective standards".

(ii) In the said rules, in rule 96, after sub-rule 11, following shall be inserted, namely:-

"(12) All M2, M3, N2 and N3 category of vehicles, manufactured on and after 1st January 2027, in case of new models, and 1st October 2027, in case of all models, shall be fitted with Vehicle Stability Function as per IS 11852:2019 and Advanced Emergency Braking Systems, as per AIS-162, as amended from **time to time,** till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)."

[F. No. RT-11036/106/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.11.27 16:14:34 +05'30'